भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3263

(दिनांक 13.03.2020 को उत्तर देने के लिए)

70वां अतंर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

3263. श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने हाल में जर्मनी में आयोजित 70वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हिस्सा लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का फिल्म निर्माताओं को एकल खिड़की स्वीकृति की सुविधा प्रदान करके तथा 'सिनेमागत पर्यटन' हेतु मंच प्रदान करके देश में फिल्म शूटिंग की सुगमता को बढ़ावा देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने सभी प्रकार की भाषायी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता वाली अपनी फिल्मों को बढ़ावा देने तथा विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना के लिए अपना एक प्रतिनिधिमंडल जर्मनी भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भारतीय सिनेमा को विदेशी बाजार में लोकप्रिय बनाने और व्यवसाय के नए अवसरों को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) और (ख): जी, हां। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय उद्योग संघ के सहयोग से हाल ही में जर्मनी में आयोजित 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लिया। इस समारोह में एक भारतीय पेवेलियन स्थापित किया गया जिससे विदेशी बाजारों में भारतीय सिनेमा को लोकप्रिय बनाने और व्यापार का नया अवसर सुगम बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला।

इसका लक्ष्य और उद्देश्य भारतीय फिल्मों का संपूर्ण भाषायी, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता में संवर्धन करना और भारत में वितरण, फिल्म निर्माण, कथानक विकास प्रौद्योगिकी, फिल्मांकन के क्षेत्र में अनेक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना तथा भारत को उभरते फिल्म बाजार और फिल्मांकन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है।

(ग) और (घ): फिल्म उद्योग की देश में पर्यटन संवर्धन और रोजगार सृजन में बहुत बड़ी भूमिका है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में एक वेब पोर्टल (https://www.ffo.gov.in) तैयार किया है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, दोनों निर्माताओं के लिए भारत में फिल्मों की शूटिंग के लिए ऑनलाइन अनुमतियां देने हेतु एकल खिड़की सुविधा-तंत्र के रूप में कार्य करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ), एनएफडीसी कौशल विकास के संवर्धन के लिए भारत सरकार की कारोबार करना आसान बनाने और डिजिटल इंडिया नीति को कार्यान्वित करने के लिए कार्य कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय स्तर पर शूटिंग की अनुमति प्रदान करने के लिए वेब पोर्टल विकसित कर ऑनलाइन एकल खिड़की सुविधा प्रणाली विकसित करने और उसे एफएफओ वेब पोर्टल के साथ जोड़ने का सुझाव दिया है।

(ङ): संयुक्त सचिव (फिल्म) की अध्यक्षता में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 70वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लिया। भारत में फिल्म कारोबार करना आसान बनाने को बढ़ावा देने, सह-निर्माण के अवसरों का पता लगाने और 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, गोवा के लिए विभिन्न हितधारकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से इस प्रतिनिधिमंडल ने फिल्म निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों से मुलाकात की।

(च): भारतीय फिल्म निर्माताओं और विभिन्न देशों के फिल्म निर्माताओं के बीच फिल्मों के सह-निर्माण का संवर्धन करने के उद्देश्य से सूचना और प्रसारण मंत्रालय विभिन्न देशों के साथ ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण करार करता है। अब तक, भारत सरकार ने विभिन्न देशों के साथ 15 ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण करार किए हैं।

****